राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(3)न्याय/2018 जयपुर, दिनांक 25 JUN 2018

–ःअधिसूचनाः–

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या–7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, किराया अपील अधिकरण, अजमेर को जिला न्यायाधीश, अजमेर से समय–समय पर स्थानान्तरित किये जाने वाले दीवानी प्रकरणों की सुनवाई व निस्तारण का अधिकार प्रदान करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

25/6/18

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
9. जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, अजमेर।
10. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित)
14. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

25-6-18

संयुक्त शासन सचिव